कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

: कार्यालय आदेश :

इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा–माध्य/खेलकूद–3/35101/(2)/2005–06/15 दिनांक 11.08.2005 द्वारा प्रसारित शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं,साहित्यिक –सांस्कृतिक प्रवृतियां आयोजन नियमावली एवं मार्गदर्शिका –2005 में उल्लेखित नियम 9 (9.1.1 से 9.1.12) " खिलाड़ी पात्रता नियम, चेक लिस्ट एवं पात्रता (योग्यता) प्रमाण पत्र " में सत्र 2016–17 होने वाली क्षेत्रीय /जिला /राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में राजस्थान राज्य के छात्र–छात्रा खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संभागी खिलाड़ियों के पात्रता नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाता है :–

क्र. सं.	नियमावली नियम संख्या	नियमावली पृष्ठ संख्या	संशोधन /परिवर्द्धन
01	9.1.13	23–24	योग्यता पात्रता प्रमाण पत्र के साथ प्रतियोगी खिलाड़ियों का राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
02	9.1.14	23–24	राज्य के बाहर के खिलाड़ियों के द्वारा उक्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु गत दो वर्ष लगातार राजस्थान के विद्यालयों में अध्ययनरत रहने की (दोनो वर्षो की अंकतालिकाएं संलग्न करते हुए) बाध्यता आवश्यक होगी।
03	9.1.15	23–24	किसी भी कक्षा में दो वर्ष से अनुत्तीर्ण /ठहराव वाले छात्र–छात्रा किसी भी विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
04	9.1.16	23–24	केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत /निजी संस्थानों में कार्यरत एवं निजी व्यवसायी अभिभावकों के विद्यार्थियों से संबंधित विभाग/संस्था/राजपत्रित अधिकारी से राजस्थान में कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्तानुसार समस्त संशोधन /परिवर्द्धन सत्र 2016–17 से प्रभावी होंगे। शेष नियम /निर्देश यथावत रहेंगे।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/खेलकूद–3/35968/राज्य स्तरीय प्रति./2015–16/108 दिनांक 03-6-2016

प्रतिलिपि : निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ठ सहायक,कार्यालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर के पत्रांक विसं/रामंशि/2015/5899 दिनांक 17.10.15 के संदर्भ में।
02. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर।
03. निदेशक, संस्कृत शिक्षा ,राजस्थान,जयपुर।
04. सचिव/अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद,एस.एम.एस स्टेडियम,जयपुर।
05. सिस्टम एनालिसट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
06. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग।
07. प्रधानाचार्य,सादुल स्पोर्ट्स स्कूल,बीकानेर।
08. प्रधानाचार्य,राजकीय शा.शिक्षा महाविद्यालय,जोधपुर।
09. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा–प्रथम/द्वितीय)।
10. समस्त केन्द्राधीक्षक,सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र/खेल छात्रावास।
11. वरिष्ठ संपादक शिविरा पत्रिका को सादर प्रकाशनार्थ।
12. स्टॉफ आफिसर निजी अनुभाग (निदेशक) का आर.आर.न 984 दिनांक 28.10.15 के संदर्भ में।

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर